

(ख) अनुसूचित क्षेत्र

क.सं.	जिला	जिले में भरे जाने वाले कुल पदों की संख्या	1. सामान्य वर्ग (अनुसूचित क्षेत्र) 50 प्रतिशत					2. अनुसूचित जाति (अनुसूचित क्षेत्र) 5 प्रतिशत					3. अनुसूचित जनजाति(अनुसूचित क्षेत्र) 45 प्रतिशत					दण्डवत आरक्षण			
			कुल पदों की संख्या	सामान्य (पुरुष)	महिला			कुल पदों की संख्या	सामान्य (पुरुष)	महिला			कुल पदों की संख्या	सामान्य (पुरुष)	महिला			नि:शकज (One Leg)	भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी	
					सामान्य	विधवा	परित्यक्ता			सामान्य	विधवा	परित्यक्ता			सामान्य	विधवा	परित्यक्ता				
1	बांसवाड़ा	118	77	54	16	6	1	0	0	0	0	0	0	41	28	8	4	1	4	14	2
2	झुंजरपुर	86	43	30	9	3	1	4	3	1	0	0	39	27	8	3	1	3	11	2	
3	प्रतापगढ़	109	66	47	13	5	1	4	4	0	0	0	39	28	8	3	0	4	13	2	
4	धित्तौड़गढ़	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	
5	राजसमन्द	6	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	
6	पाली	6	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	
7	सिरोही	31	15	11	3	1	0	1	1	0	0	0	15	12	2	1	0	1	3	0	
8	उदयपुर	209	106	72	23	9	2	10	7	2	1	0	93	63	20	8	2	8	0	0	
9	भू-प्रबन्ध विभाग	36	18	14	3	1	0	2	2	0	0	0	16	12	3	1	0	1	4	0	
	सर्वयोग	608	333	235	68	25	5	21	17	3	1	0	253	178	50	20	4	21	45	6	

नोट:-

1. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अंकन नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये विचार नहीं किया जायेगा।
2. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये भी आवेदन कर सकते हैं।
3. महिला, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं विशेष योग्यजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) होगा।
4. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.2(157)राज. /2015 दिनांक 05.12.2019 के अनुसार राजस्व विभाग (उपनिवेशन विभाग, भू-अभिलेख एवं भू-प्रबन्ध विभाग) के पटवारी भर्ती हेतु विशेष योग्यजनों में केवल OL (One Leg)-Lower Limb की श्रेणी को ही 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है।
5. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।